



मलयज

त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका

(जुलाई-सितंबर, 2020)



॥ है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरीभरी ॥
॥ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी ॥

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र

ANDHRA PRADESH & TELANGANA REGION

हैदराबाद प्रभार

HYDERABAD CHARGE

अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि
वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए,
उसका विकास करे,

जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के
सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके
और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना
हिंदुस्तानी में और
आठवीं अनुसूची में
विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त
रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए
और

जहां आवश्यक या वांछनीय हो
वहां उसके शब्द-भंडार के लिए
मुख्यतः संस्कृत से और
गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द
ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संरक्षक

श्री जे.बी. महापात्रा, भा.रा.से.
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

सह-संरक्षक

डॉ. आर.के. पालीवाल, भा.रा.से.
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
आयकर महानिदेशक (अन्वे.) (स्वस्थाने), हैदराबाद

श्री अतुल प्रणय, भा.रा.से.
मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

प्रधान संपादक

श्री पीयूष सोनकर, भा.रा.से.
आयकर आयुक्त (मुख्या. प्रशा. व करदाता सेवाएं) एवं राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

श्री रवि कुमार,
उप निदेशक (राजभाषा), हैदराबाद

श्रीमती ममतारानी साहु
उप निदेशक (राजभाषा), हैदराबाद
(मुख पृष्ठ व पत्रिका का साजसज्जा)

श्री सुनील कुमार विभूते
सहायक निदेशक (राजभाषा), हैदराबाद

संपादकीय सहयोग

श्रीमती के. गिरिजा वाणी
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

श्री अनिल कुमार मीना
हिंदी आशुलिपिक

संपर्क हेतु : सहायक निदेशक (राजभाषा),
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
आयकर शिखर, नौवीं मंजिल, कमरा नं. 945, हैदराबाद-500004
e-mail id : hyderabad.ad.ol@incometax.gov.in

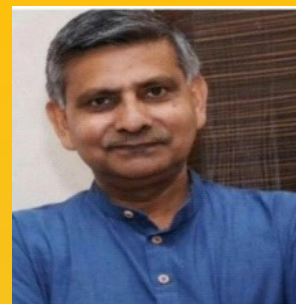
अनुक्रमणिका

क्र.सं.	रचना	रचनाकार का नाम श्री / श्रीमती /कुमारी
1.	गांधी और किसान	डॉ.आर.के.पालीवाल, आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद
2.	अनुवाद और अनुसृजन - एक विचार	अतुल प्रणय, मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
3.	अनुशासित जीवन उत्कृष्ट जीवन की आधारशिला	पीयूष सोनकर, आयकर आयुक्त (मुख्या. व करदाता सेवाएं) एवं राजभाषा अधिकारी, हैदराबाद
4.	राजभाषा की संवैधानिक व्यवस्था	संकलन - राजभाषा अनुभाग, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
5.	ख्वाब-हकीकत	शालिनी भार्गव कौशल, आयकर आयुक्त, हैदराबाद
6.	“ओशो” संकलन	जी.एस.सिंह, आयकर उपनिदेशक(अन्वे.) हैदराबाद
7.	मैं हिन्दी हूँ	संकलन - राजभाषा अनुभाग, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
8.	आनंदी बाई जोशी	ए.वी.एन. मूर्ति, आयकर निरीक्षक
9.	हिंदी भाषा का महत्व	सुनील कुमार विभूते, सहायक निदेशक (राजभाषा)
10.	सोचता हूँ	मनीष ‘तालिब’, पति श्रीमती शालिनी भार्गव कौशल, आयकर आयुक्त
11.	कविता –वयों डरता है...?	सांवत राम मीना (सांवरा जी मांडया), आशुलिपिक
12.	मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप	मोहम्मद अवेस अहमद, वरिष्ठ कर सहायक
13.	ईमानदारी	कमर आलम खान, कर सहायक
14.	मां का आंचल	शंकर मीना, आशुलिपिक
15.	कोरोना	शंकर लाल मीना, कर सहायक
16.	-पुस्तक अध्ययन- प्रिंट एवं ई- पुस्तक मेरी नज़र से.....	श्रीमती गिरीजा वाणी, वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी
17.	बेरोजगार युवा	कृष्ण कुमार मीना, आशुलिपिक
18.	परोपकार का फल	श्री सदानन्द, लिफ्ट चालक
19.	-कोविड-19 की चुनौतियाँ- आयकर विभाग, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना के सराहनीय कदम	संकलन - राजभाषा अनुभाग, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

ई-पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं।
लेखकों के विचारों से प्रकाशक, संपादक तथा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।



गांधी और किसान



डॉ. आर.के. पालीवाल
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
आयकर महानिदेशक (अन्वे.) (स्वस्थाने), हैदराबाद

गांधी का बचपन और युवापन शहर के वैष्णव वैश्य परिवार में बीता था इसलिए उन्हें खेती किसानों का कोई अनुभव नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम और टाल्सटाय फार्म से जरूर उन्होंने आत्म निर्भरता के लिए खेती बाड़ी के कुछ छुटपुट प्रयोग किए थे, लेकिन भारतीय किसानों की समस्या से उनका पहला प्रत्यक्ष परिचय बिहार के प्रसिद्ध चम्पारन आंदोलन के दौरान हुआ था। इसी आंदोलन ने गांधी का असली परिचय देश के गांवों और वहां की गरीब जनता से कराया था। चम्पारन आंदोलन से गांधी ने भारतीय राजनीति में भी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज की थी। गांधी ने अपने राजनीतिक विचार अलग से कभी किसी लेख या पुस्तक में विधिवत रूप से व्यक्त नहीं किए, इसलिए गांधी के राजनीतिक विचारों को ठीक से समझने के लिए उनके उन प्रमुख आंदोलनों की विशेषताओं को समझना जरूरी है जिनको नेतृत्व गांधी ने किया था। भारत में गांधी के नेतृत्व में हुआ पहला बड़ा आंदोलन 1917 में चंपारन में हुआ था जिसे चम्पारन सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।

चंपारन (बिहार) के किसान नील की खेती की बेगार जैसी प्रथा से बहुत परेशान थे। वहां तीन कठिया नाम का बड़ा कानून लागू था। इसके अनुसार हर किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की



खेती करना अनिवार्य था। एक बीघा जमीन में 20 कठठे भूमि होती है। यह नियम था कि हर किसान को प्रति बीघा तीन कठठे जमीन में नील की खेती करनी है। इसके मालिक निलहे अंग्रेज कहलाते थे जो किसानों के प्रति क्रूरता के लिए कुख्यात थे और नील की खेती करने में आनाकानी करने वाले किसानों को तरह तरह के अत्याचार से परेशान करते थे। चंपारन के एक जागरूक किसान राजकुमार शुक्ल ने काफी लोगों से गांधी के दक्षिण अफ्रीका के सफल आंदोलनों के बारे में सुन रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि अगर एक बार गांधी यहां आकर किसानों की व्यथा देख लें तो वे इन गरीब

किसानों को इस कुप्रथा से आजादी दिला सकते हैं। उन दिनों भारत में गांधी को बहुत लोग नहीं जानते थे क्योंकि गांधी के अफ्रीका प्रयास के दौरान किये गये आंदोलनों से हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग और कांग्रेस के बड़े नेता ही अधिक परिचित थे।

राजकुमार शुक्ल की गांधी से पहली छोटी सी मुलाकात कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिसंबर 1916 में हुई थी। उन दिनों गांधी के भाषणों के भारत में बहुत चर्चे थे। काशी में 4 फरवरी 1916 में, जहां वे काशी विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में इसके संस्थापक मदनमोहन मालवीय जी के विशेष आग्रह पर आये थे, गांधी का बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने भारत के राजे महाराजों को खरी खरी सुनाई थी। गांधी के इस भाषण से तिलमिलाकर कई लोग कार्यक्रम के बीच में ही सभा छोड़ गये थे। राजकुमार शुक्ल को यह विश्वास था कि गांधी जैसी सख्शियत ही चम्पारन के किसानों को दशको चली आ रही नील की जबरन खेती की कुव्यवस्था से

निजात दिला सकती है। राजकुमार शुक्ल की गांधी से पहली मुलाकात सामान्य ही रही। गांधी ने उन्हें कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया था, केवल यही कहा था कि जब भी समय मिलेगा वे चंपारन का कार्यक्रम बनाएंगे। राजकुमार शुक्ल भी पक्के इरादे वाले किसान थे। उन्होंने गांधी का तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक गांधी ने उन्हें 1917 में कलकत्ता के कार्यक्रम के बाद चंपारन आने की तारीख तय नहीं कर दी। राजकुमार शुक्ल कलकत्ता से गांधी को पटना लाए थे। पटना में गांधी के रुकने की पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए शुक्ल गांधी को बाबू राजेन्द्र प्रसाद के घर ले गये। राजेन्द्र बाबू पटना के बड़े वकील थे। उन दिनों उनके यहां भी आम घरों की तरह छूआछूत का माहौल था। राजेन्द्र बाबू घर नहीं थे इसलिए उनके नौकर ने गांधी की जाति की जानकारी नहीं होने के कारण प्रचलित परम्परा के अनुसार गांधी को घर की बजाय बाहर का ही पाखाना इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी इस तरह की चीजों को दिल पर नहीं लेते थे। उन्होंने नौकर की आज्ञा का सहर्ष पालन किया क्योंकि यह तो अपने मालिकों के कहे अनुसार उनके लिए वफादारी से काम कर रहा था। बाद में राजेन्द्र प्रसाद पर गांधी के सानिध्य का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गांधी की सादगी और छूआछूत के विरोध को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया।

पटना में गांधी ने अधिक वक्त जाया नहीं किया और पटना के साथियों से विचार विमर्श के बाद सीधे चंपारन की राह पकड़ी। चंपारन का इलाका और यहां की समस्या गांधी के लिए एकदम नई थी इसलिए गांधी कम समय में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात कर समस्या की जड़ देखना समझना चाहते थे। पटना से गांधी सीधे मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। वहां आचार्य कृपलानी जी ने गांधी को नील की समस्या की गंभीरता के बारे में बताया और कई लोगों से गांधी का परिचय कराया। वहीं गांधी से मिलने दरभंगा से बाबू बृजकिशोर और राजेन्द्र प्रसाद भी पहुंच गये। पहली ही मुलाकात में यह सब लोग गांधी से ऐसे जुड़े कि यह जुड़ाव आजीवन बना रहा और समय के साथ और प्रगाढ़ होता चला गया।

बृज किशोर बाबू कुछ गरीब किसानों के मुकदमे लड़ते थे इसलिए किसानों में उनकी अच्छी पैठ थी। उन्होंने गांधी को इन मुकदमों की जानकारी दी। गांधी मुकदमों के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि गरीब किसानों को निर्भयता के साथ इस तीन कठिया प्रथा का विरोध कर इसे खत्म कराना चाहिए तभी सही अर्थ में सब किसानों के लिए अंग्रेजों का लाभ होगा। बरसों से दबे कुचले किसानों के लिए अंग्रेजों का विरोध करना आसान काम नहीं था लेकिन गांधी ऐसे कठिन काम अफ्रीका में कर चुके थे इसलिए उन्हें यहां भी सफलता की उम्मीद थी। कुछ ही दिनों में गांधी ने यह महसूस किया कि यह काम कुछ दिन में संभव नहीं है इसलिए उन्होंने अपनी योजना बदलकर यहां काफी समय रुकने का फैसला किया। चंपारन का आंदोलन काफी लंबा चला। इस दौरान सहयोग के लिए गांधी के बुलावे पर अन्य सहयोगियों के साथ कस्तूरबा भी आ गयी थी। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों के अनुभव के आधार पर यहां भी अपने साथियों को समझा दिया था कि इस काम में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बृजकिशोर जैसे कई लोग इसके लिए भी तैयार थे और उन्होंने गांधी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया।



गांधी ने किसानों, अंग्रेज मालिकों और कमिश्नर (मामले के तीनों पक्षों) से बातचीत की। अंग्रेज मालिकों को उनके और किसानों के बीच में गांधी का दखल पसंद नहीं था। उधर किसानों की निरक्षरता और गरीबी को देखकर गांधी ने वहां तीन कठिया के खिलाफ आंदोलन का काम करते हुए यह भी महसूस किया कि यहां शिक्षा आदि के रचनात्मक काम भी शुरू करने होंगे। वे यह भी चाहते थे कि इन कामों में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। कस्तूरबा को महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भीतिहरवा गांव में कस्तूरबा को महिलाओं से बातचीत में यह पता चला कि महिलाओं के पास पहनने के लिए एक भी टंग की साड़ी नहीं है। घर के अंदर तो जैसे तैसे चल जाता है ऐसी हालत में वे बाहर कैसे निकलें। उन्होंने कहा - गांधी से हमें बाहर पहनने के लायक कपड़े दिलाओ तो हम भी बाहर आएंगी।

चंपारन के गांवों में गांधी ने भारत के गांवों की गरीब जनता की असलियत पहली बार इतने नजदीक से देखी थी। उन्हें यहां की विपन्नता देखकर खुद पर शर्म भी आई कि हमारे भाई बहन इस दयनीय हालत में गुजर करते हैं और हम सर पर भी इतनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं। कालांतर में गांधी ने देश के गरीब देहातियों की ऐसी ही दयनीय हालत देख देखकर एक दिन अचानक अपनी पगड़ी और लंबी धोती कुर्त्ता हमेशा के लिए त्याग कर सबको चौंका दिया था। वे देश के आम गरीब किसान और मजदूर की वेशभूषा में आ गए थे। चंपारन के आंदोलन ने गांधी का हुलिया भी बदला और नजरिया भी। इस आंदोलन के दौरान गांधी खास की श्रेणी से आम में आ गये और अंत तक आम ही बने रहे। गांधी ने चंपारन जिले के मुख्यालय मोतीहारी में गोरख बाबू के यहां डेरा डाला था। कुछ ही दिनों में यह यह देहात से आई किसानों की भीड़ का अड्डा बना गया। इस इलाके में गांधी के आगमन के पहले कांग्रेस की कोई खास पहचान नहीं थी। गांधी के आने से पूरा इलाका कांग्रेस के रंग में रंग गया था। इसी वजह से चंपारन के प्रशासन ने गांधी की दिनोंदिन बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर गांधी को यह इलाका छोड़ने का आदेश दिया लेकिन गांधी ने यह आदेश मानने इंकार कर दिया। गांधी पर मुकदमा कायम हुआ लेकिन यह मुकदमा टिक नहीं पाया। अंततः उन्हें यहां रहकर किसानों पर किये गये अत्याचारों के आध्ययन की इजाजत मिल गई। गांधी ने स्थानीय साथियों के सहयोग से बहुत से किसानों से मिलकर बड़ी मेहनत से उनकी व्यथा को उजागर करने वाली एक सच्ची और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी। इस रिपोर्ट की जांच के लिए गवर्नर एडवर्ड गेट ने फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसमें गांधी को भी सदस्य बनाया गया। इस समिति ने गांधी की रिपोर्ट सही मानते हुए तीन कठिया कानून रद्द करने की सलाह दी जिसे गवर्नर ने मान लिया। इस तरह सौ साल पुराने कानून का अंत हुआ।

यहां भी दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों की तरह गांधी के सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन की जीत हुई और गांधी के ही शब्दों में नील का दग धुल गया। गांधी ने इस आंदोलन के दौरान शिक्षा आदि के जो रचनात्मक काम शुरू किये थे उन्हें तो वे अन्य व्यस्तताओं के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ा सके लेकिन इस आंदोलन ने गांधी को भारत के गरीबों का सबसे विश्वसनीय शुभचिंतक बना दिया था और वे कांग्रेस के बड़े नेताओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए थे।





अनुवाद और अनुसृजन - एक विचार



अतुल प्रणय,
मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

अनुवाद, कला और कौशल का एक सुंदरतम मेल है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद को अनुसृजन माना जा सकता है। किसी भाषा के साहित्य की सौंदर्य चेतना और कलापूर्ण प्रयोग को समझते हुए दूसरी भाषा में उसका प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्थापित करना संभवतः मौलिक रचना की कलात्मकता व लालित्य को अक्षुण्ण रखने में सहायता मिलती है। जैसे मौलिक रचना में प्रतिभा अपेक्षित है ठीक उसी प्रकार अनुवाद में भी अपेक्षित है ताकि अनुवाद, अनुवाद-सा न लग कर मौलिक रचना लगे। मौलिक रचना, अनुसृजन-सा प्रतीत हो। इसी विचार की परिपुष्टि में वर्ष 2010, 2011 व 2012 के दौरान मेरे द्वारा हिंदी अनुदित भारतीय साहित्य के नोबल पुरस्कार विजेता परमपूज्य गुरु रबीन्द्रनाथ टैगोर, भारत रत्न विजेता संत मदर टेरेसा और देश के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे भारतवर्ष के महान विभूतियों के कुछ विचारोत्तेजक उक्तियों को सभी सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

हे ईश्वर ! तुम सर्जित करना यह विचार जन मानस में
फिर करना परिवर्तित उसको जन-जन के कर्मों में ।
रोपित करना मन में यह हर नायक और जनता के
कहीं बड़ा है राष्ट्र हमारा किसी व्यक्ति के स्व से ।

तुम्हारे प्रेमपूर्ण हृदय में तेरे लोभवेष्टि के लपट पड़ोपड़े,
बाने तुम्हारे हृदय में तेरे प्रेमपूर्ण हृदय में बने।
हलके तेरे प्रेमपूर्ण हृदय में बने बने बने बने
तेरे प्रेमपूर्ण हृदय में तेरे लोभवेष्टि के हलके बने पड़ोपड़े।



From "My National Prayer "
By Dr. A.P.J. Abdul Kalam,
Former President of India



मधुर वाणी बोलने में भले ही सरल और संक्षिप्त लगे,
पर उसकी प्रतिध्वनि निश्चय ही अंतहीन होती हैं ।

लोभवेष्टि बने इतने बने बने बने बने
बने तेरे हृदय में तेरे लोभवेष्टि के बने पड़ोपड़े।

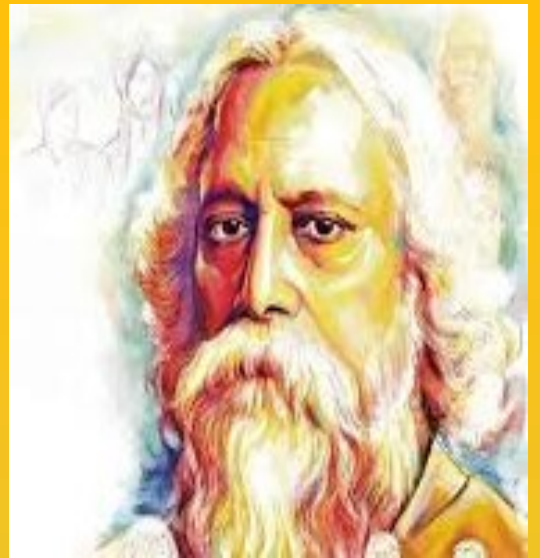
मत जाओ बंधु तुम मंदिर में प्रभु-चरणों में पुष्पार्पण को,
इससे पहले अपने घर को मधु-प्रेम-सुरभि से तुम भर लो।

मत जाओ बंधु तुम मंदिर में बेदी पर दीप जलाने को,
इससे पहले निज अंतस् के घन-पाप-तिमिर को तुम हर लो।

मत जाओ बंधु तुम मंदिर में प्रभुवंदन शीशनमन करने,
इससे पहले निज-जन समक्ष नमन का पाठ ग्रहण कर लो।

मत जाओ बंधु तुम मंदिर में घुटने मोड़े वंदन करने,
इससे पहले किसी दीन-दलित का उन्नयन स्वयं झुककर कर लो।

मत जाओ बंधु तुम मंदिर में अपने पापों की क्षमा हेतु
इससे पहले अंतर्मन से निज-दोषी को क्षमा कर लो।



परमपूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना सहित
अनुदित - अतुल प्रणय

ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਫਿਰੇ ਹੋਏ,
ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ...

ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ...

ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ...

ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ...

ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ!





अनुशासित जीवन - उत्कृष्ट जीवन की आधारशिला



पीयूष सोनकर

आयकर आयुक्त (मुख्या. व करदाता सेवाएं)
एवं राजभाषा अधिकारी

हर व्यक्ति की कुछ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। चाहे फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षा पर एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि सभी अच्छे से अच्छा अंक पाने और अपने कैरियर को चमकाने के लिए जी-जान से जुटे हैं और यह सचमुच गर्व की बात है। विभिन्न प्रकार की सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी भी अपनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं और पदोन्नति और बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत हैं। विश्व के

सभी राष्ट्र भी एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी उत्कृष्ट जीवन और बेहतर संभावनाओं की तलाश में लगे हुए हैं। अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर जीवन में आगे बढ़ने के कुछ सूत्र मुझे हासिल हुए हैं और मेरा यह विश्वास प्रबल हुआ है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उनमें अनुशासन न हो, क्योंकि अनुशासन ही जीवन को सही अर्थों में सार्थक बनाता है। अनुशासन ही उत्कृष्ट जीवन की आधारशिला है। अनुशासन की नींव पर ही महान जीवन और बुलंद ऊँचाईयों की इमारत खड़ी हो सकती है शायद इसलिए महत्मा गांधी ने कहा है कि "अनुशासन के नियमों की

अवहेलना करना आत्महत्या करने के समान है।"

अनुशासन का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुविचारित और निर्धारित नियमों का पालन करना। सोचिए कि अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि और विवेक का अनुशासन न माने तो क्या होगा? सड़क पर चलने वाली गाड़ियां यदि ब्रेक का अनुशासन न मानें तो कितनी दुर्घटनाएं घटेंगी। रेलगाड़ी यदि पटरी का अनुशासन न माने तो क्या होगा? बहती हुई विशाल नदियां यदि किनारों का अनुशासन न माने तो बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है। यहां तक कि यदि पतंग डोर का अनुशासन न माने तो क्या वह इतनी स्वतंत्रता से आकाश में उड़ सकेगी? अनुशासन हर क्षेत्र में सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अनुशासन हमें शालीन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह कोई बंधन नहीं बल्कि सुनियोजित प्रगति की कुंजी है।

यहां मैं हमारे आयकर विभाग की भी चर्चा करना चाहूंगा। आयकर विभाग नागरिकों की भलाई के लिए और देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि देश के करदाता पूरी जिम्मेदारी से देश निर्माण की हमारी पहल में हमें सहयोग करते हैं। अगर देश का हर नागरिक पूरे अनुशासन के साथ ऐसा करे तो हमारा देश अत्यंत समृद्ध और उन्नत बन जाएगा। मित्रों मैं हमेशा यह महसूस करता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने और आगे बढ़ने के लिए गहनता (Intensity) से ज्यादा निरंतरता (Consistency) की जरूरत होती है



और किसी भी कार्य या लक्ष्य के प्रति यह निरंतरता अनुशासन से ही आती है। साथियों, यह लेख ई-पत्रिका में प्रकाशित ऐसे समय पर किया जा रहा है कि अनुशासन कि महत्व को एक दूसरे पहलू की ओर बरबस मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा है जिसे मैं सभी सुधी पाठकों से साझा करना चाहता हूँ। “कोरोना वायरस कोविड-19” जैसी इस महामारी से संपूर्ण विश्व आज चपेट में है और इससे निजात पाने के लिए एक अनुशासित जीवन प्रणाली ही एकमात्र उपाय है। आइए, हम सब अनुशासन की इस जादूई घड़ी से अपने जीवन के अनमोल पल से पहचान करें और उसे उत्कृष्ट बनायें। साथ ही अपने आस-पास के परिवेश, समाज और अपने राष्ट्र की प्रगति में सहयोगी बनें।

%%%%%%%%%



जरा सोचिए,

क्या इसमें कोई कठिनाई है ?

- ♣ क्या हिंदी में हस्ताक्षर करने में हमें कोई कठिनाई है ?
- ♣ जब हम कार्यालय में हिंदी में बातचीत कर सकते हैं तो क्या कार्यालय का सामान्य कार्य हिंदी में करने में कोई कठिनाई है ?
- ♣ जब लेखन सामग्रियों का खर्च सरकार वहन करती है तो केवल अंग्रेजी के बजाए इसे द्विभाषी रूप से छपवाने/तैयार करने में क्या हमें कोई कठिनाई है ?
- ♣ जब कार्यालय की अन्य सभी रिपोर्टें मुख्यालय को समय पर भेजी जाती हैं तो हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने में क्या हमें कोई कठिनाई है ?
- ♣ जब रबड़ की मुहरें तथा नामपट्ट व सूचनापट्ट बनवाने का व्यय सरकार वहन करती है तो केवल अंग्रेजी के बजाए इसे द्विभाषी रूप में बनवाने में क्या कोई कठिनाई है ?

-निस्संदेह, बिलकुल नहीं-

यदि कोई कठिनाई है तो केवल मासिकता एवं दृढ़ इच्छा-शक्ति की





राजभाषा की संवैधानिक व्यवस्था *Constitutional Provisions regarding Official Language*

विश्व भर में किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए उसके लिखित या अलिखित संविधान का अपार महत्व होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ की हड्डी उसका संविधान ही होता है। हमारे भारत वर्ष में अनेक जाति, धर्म, पंथ तथा भाषाओं के लोग हैं और इन सबके लिए एक ही लिखित संविधान बनाया और अपनाया गया है। इस संविधान को 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार किया गया था तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। दिनांक 14 सितंबर, 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तत्पश्चात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 अर्थात् कुल 11 अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग तथा भाषाओं के विकास आदि के बारे में प्रावधान किये गये हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है :-

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1 | अनुच्छेद(Article) 120 | संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा
Language to be used in the Parliament |
| 2 | अनुच्छेद(Article) 210 | विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा
Language to be used in the Legislature |
| 3 | अनुच्छेद(Article) 343 | संघ की राजभाषा
Official Language of the Union |
| 4 | अनुच्छेद(Article) 344 | राजभाषा के लिए आयोग और संसद समिति
Commission and Committee of Parliament on official language |
| 5 | अनुच्छेद(Article) 345 | राज्य की राजभाषा/ राजभाषाएँ
Official language or languages of a State |
| 6 | अनुच्छेद(Article) 346 | एक राज्य अथवा दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा / Official languages for Communication between one State and another or between a State and the Union |
| 7 | अनुच्छेद(Article) 347 | किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा
Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State |
| 8 | अनुच्छेद(Article) 348 | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा / Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills etc. |
| 9 | अनुच्छेद(Article) 349 | भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
Special procedure for enactment of certain laws relating to language |
| 10 | अनुच्छेद(Article) 350 | व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग होने वाली भाषा
Language to be used in representations for redress of grievances |
| 11 | अनुच्छेद(Article) 351 | हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निदेश
Directive for development of the Hindi language |



‘ख्वाब-हकीकत’

शालीनि भार्गव कौशल
आयकर आयुक्त, हैदराबाद

कई ख्वाब उधड़े तो हकीकत बुनी है
तुम ने भी क्या ये कहानी सुनी है

जिस ने बेच डाले हों ख्वाब सारे
कहते हैं वो शख्स सबसे धनी है

अपना चेहरा दिखाई नहीं देता
आईने में किसकी ये सूरत बनी है

जब से बना हूं अक़ीदत के काबिल
किसी हमनफ़स की बेहद कमी है

दिन के उजाले में फिर हूँ उसको
अभी तो ‘सहर’ राज काली घनी है

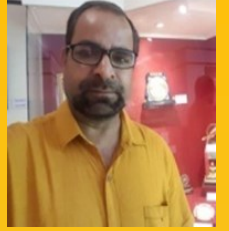
अनुरोध

आपकी अपनी हिंदी ई-पत्रिका “मलयज” के लिए
अच्छे लेख, कविताएं, संकलित साहित्य, यात्रा वृत्तांत,
हास्य-व्यंग तथा विभागीय विषयों पर
(तकनीकी तथा सामान्य) लेख हमें अगले अंक में प्रकाशित
करने के लिए निम्नलिखित पते पर भेजें।

सहायक निदेशक (राजभाषा), कार्यालय प्र.मु.आ.आ.,
आयकर शिखर, 9 वीं मंजिल, ए.सी. गार्डन्स,
मासब टैंक, हैदराबाद - 500 004

e-mail id : Hyderabad.ad.ol@incometax.gov.in





‘ओशो’ (संकलन)

जी.एस. सिंह
आयकर उपनिदेशक (अन्वे)

ओशो गजब का ज्ञान दे गये, कोरोना जैसी जगत बिमारी के लिए
70 के दशक में हैजा भी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला था,
तब अमेरिका में किसी ने ओशो रजनीश जी से प्रश्न किया
-"इस महामारी से कैसे बचे?"

ओशो ने विस्तार से जो समझाया वो आज कोरोना के सम्बंध में भी बिल्कुल प्रासंगिक है।

ओशो

"यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं,
प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके सम्बन्ध में कुछ
कहिए! इस डर से कैसे बचा जाए...?"

क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है,
लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है।
अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर के कारण लोग ज्यादा मरेंगे.....।

‘डर’ से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है।

इस डर को समझिये,

अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे।

यह जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं है।

यह एक सामूहिक पागलपन है, जो एक अन्तराल के बाद हमेशा घटता रहता है, कारण बदलते रहते हैं, कभी
सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग!!
इस तरह का सामूहिक पागलपन समय-समय पर प्रगट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत,
राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है।

इस में बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं ।
ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है, और आगे भी होता रहेगा और आप देखेंगे कि आने वाले बरसों में युद्ध तोपों से
नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़ें जाएंगे।

मैं फिर कहता हूं हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर!! इस महामारी में आप घर
बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए और व्यायाम कीजिये, फिल्में देखिये, योग कीजिये और एक माह में
15 किलो वजन घटाइए, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइये

अपने शौक पूरे कीजिए।

मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा और नहीं तो एक बुक लिख
डालिये, इस महामन्दी में पैसा इन्वेस्ट कीजिये, ये अवसर है जो बीस तीस साल में एक बार आता है पैसा बनाने
की सोचिए....क्युं बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं...
ये ‘भय और भीड़’ का मनोविज्ञान सब के समझ नहीं आता है।

'डर' में रस लेना बंद कीजिए...

आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है, अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग भूतहा फिल्म देखने क्यों जाते? यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और TV के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है... लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालिकियत छिन सकती है... आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा है ओशो कहते हैं... TV पर खबरे सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें ऐसा कोई भी विडियो या न्यूज़ मत देखिये जिससे आपके भीतर डर पैदा हो...

महामारी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए,

डर भी एक तरह का आत्म-सम्मोहन ही है।

एक ही तरह के विचार को बार-बार घोकने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगता है और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले;

महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उन पर ध्यान दीजिए;

ध्यान-साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव Aura बन जाता है, जो बाहर की

नकारात्मक उर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता है,

अभी पूरी दुनिया की उर्जा नाकारात्मक हो चुकी है.....

ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक-होल में गिर सकते हैं.... ध्यान की नाव में बैठ कर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधू-संगत कीजिए, और साधना कीजिए, विद्वानों से सीखें, आहार का भी

विशेष ध्यान रखिए, स्वच्छ जल पीए, अंतिम बात:

धीरज रखिए... जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा.....

जब तक मौत आ ही न जाए, तब तक उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और

जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है,

डर एक प्रकार की मूढ़ता है, अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक न एक दिन मरना ही होगा, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए विद्वानों की तरह जीयें, भीड़ की तरह नहीं!!"

-: ओशो :-



हमारा लक्ष्य...

#####

- | | |
|---|--------------------|
| 1. हिन्दी में मूल पत्राचार | 55% |
| 2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना | 100% |
| 3. हिन्दी में नोटिंग | 30% |
| 4. राजभाषा संबंधी बैठकें (तिमाही में 01 बैठक) | वर्ष में 04 बैठकें |
| 5. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो | 100% |
| 6. हिन्दी पुस्तकों की खरीदी | 50% |
| 7. विभागीय वेबसाइट द्विभाषी हो | 100% |

मैं हिन्दी हूँ

संकलन - राजभाषा अनुभाग
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
हैदराबाद

मैं सूरदास की दष्टि बनी
तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी
मैं मीरा के पद की मिठास
रसखान के नैनों की उजास
मैं हिन्दी हूँ ॥

मैं सूर्यकांत की अनामिका
मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ
मैं हूँ प्रसाद की कामायानी
मैं हूँ कबीरा की बाणी



मैं हिन्दी हूँ ॥
खुसरो की इश्क मज़ाजी हूँ
मैं धनानंद की हूँ सुजान
मैं ही रसखान के रस की खान
मैं ही भारतेन्दु का रूप महान
मैं हिन्दी हूँ ॥

हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला
ब्रज, अवधी, मगधी की हाला
अज्ञेय मेरे है भग्नदूत
नागार्जून की हूँ युगधारा
मैं हिन्दी हूँ ॥

मैं देव की मधुरिम रस विलास
मैं महादेवी की विरह प्यास
मैं ही सुभद्रा का ओज गीत
भारत के कण-कण में है वास
मैं हिन्दी हूँ ॥



में विश्व पटल पर मान्य बनी
में जगद्गुरु अभिज्ञान बनी
में भारत माँ की प्राणवायु
में आर्यावर्त अभिधान बनी
में हिंदी हूँ ॥



में आन-बान और शान बनूं
में राष्ट्र का गौरव मान बनूं
यह दो तुम मुझको वचन आज
में तुम सबकी पहचान बनूं
में हिंदी हूँ ॥

%%%%%%%%%

राजभाषा नियम-12

राजभाषा नियम /अधिनियम का समुचित
अनुपालन सुनिश्चित करना

प्रत्येक कार्यालय के
प्रशासनिक प्रधान एवं कार्यालय प्रमुख
का उत्तदायित्व है।





आनंदी बाई जोशी

ए.वी.एन. मूर्ति
आयकर निरीक्षक

हम यह नहीं कहेंगे कि उनको जीवन महान दिनों के लिए संक्षिप्त था। सूरज जो शरद ऋतु को चीरता है, उसकी किरणों के ग्रीष्मकाल पर शीफ बरसती है। वह एक स्फिरिचुअलिस्ट नहीं है और न ही एक थियोसोफिस्ट है जिसे वह अलग करती है, एक आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास करती है जो कभी भी उस दुनिया के करीब थी जिसे उसने छुआ था। वह दुनिया में एम.डी करने वाली अमेरिका की पहली महिला है और किसी भी देश में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त करने वाली पहली हिन्दू महिला बनी हैं।

वह आनंदी बाई जोशी हैं जिनका जन्म 31 मार्च, 1865 को पुना इंडिया में हुआ था। उनके पिता का नाम गुनपुत्रों अमृतसर जोशी था और मां गंगूबाई जोशी थीं। नौ साल की उम्र में उनकी शादी गोपाल विनायक जोशी से 31 मार्च, 1874 को हुई थी। 14 वर्ष की आयु में उसने एक लड़के को जन्म दिया जो केवल 10 दिनों तक जीवित रहा, यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। एक बच्चे की मृत्यु उसके पिता को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है जो उसने एक बार कहा था, लेकिन उसकी मां यह नहीं चाहती कि वह मर जाता। इस घटना ने उन्हें एक चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित किया।

गोपालराव, जोशी पति को जोशी शिक्षा से मोहब्बत हो गई थी, एक दिन वह रसोई में आई और अपनी दादी के साथ खाना पका कर फिट रहने के लिए आगे बढ़ी। पतियों के लिए अपनी पत्नियों को पढ़ने के बजाए खाना पकाने के लिए पीटना बहुत असामान्य था। जैसे-जैसे उनका जोश शिक्षा के प्रति जुनून बढ़ता गया, उन्होंने उन्हें चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा।

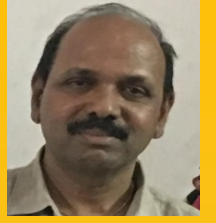
1880 में उन्होंने शाही जंगल में एक पत्र भेजा, 1883 में उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई के लिए आनंदीबाई को अमेरिका भेजने का फैसला किया। गोपालराव ने उन्हें उच्च शिक्षा देकर दूसरी महिला के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए राजी किया। उनकी थीसिस आर्यन हिंडो के बीच प्रसूति पर थी और उसे अपने स्नातक स्तर पर रानी विजारिया से एक बधाई संदेश मिला।

वह भारतीय मूल की पहली महिला थीं जिन्होंने पोन्सिलेवेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा में एक डिग्री के साथ अध्ययन और स्नातक किया। 1886 में अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल, कोल्हापुर, भारत में महिला वार्ड के प्रभारी चिकित्सक के रूप में नियुक्त वह इन सभी चुनौतियों से गुजरी थीं और अपने शुरुआती बीस में वह तपेदिक के कारण दुनिया छोड़ गई थी।

उसने अमेरिका से दवाई का इस्तेमाल किया जो उसे भेजा गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वह 26, 1887 में फ्रेबुअरी से गुजरी। कई आते हैं और कई जाते हैं, लेकिन किदवंतियों में वह उन में से एक है। वह मुश्किल से बीस साल की थी, लेकिन उसने अपना जीवन दे दिया और सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की।

चुनौतियों के लिए आभारी रहें क्योंकि रास्ते में कोई कठिनाईयां और कांटे नहीं थे, तो मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहा होगा और सभ्यता और सामाजिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की थी जो उसने हमें सिखाया था।

हिंदी भाषा का महत्व



सुनील कुमार विभूते
सहायक निदेशक (राजभाषा)

भाषा बहता नीर है। वह जहां जहां जाती है उस पर स्थान, समाज, लोक संस्कृति एवं बोली का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। भारत की समस्त भाषाएं हिंदी से प्रभावित हैं, इसलिए हिंदी भाषा में लोक भाषाओं-क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव अधिक है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हिन्दी वर्चस्व कायम है। दक्षिण भारत की भाषाएं संस्कृत से हुबहू शब्द लिए हुए हैं। जीवन में भाषा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। कोई व्यक्ति जन्मजात भाषा लेकर पैदा नहीं होता, वह वातावरण एवं समाज में बोली जाने वाली भाषा ही सीखता है। इसी भाषा जब वह अन्य स्थान पर लेकर जाता है या वहां उसे उच्चरित करता है उस पर स्थानिय भाषा का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस प्रभाव को ही भाषा को बहता नीर से परिभाषित किया गया है।

हिन्दी भाषा में उत्तर भारत में बोलियों के शब्द जल में शक्कर की भांति घुले हुए हैं। हिन्दी भाषा पर अवधी और वज्र भाषा का प्रभाव बहुत अधिक है या यूं कहा जाये कि इन्हीं दो प्रमुख भाषाओं से हिन्दी का अस्तित्व अधिक सुदृढ़ हुआ है। भारत के ही नहीं विश्व के महानतम ग्रन्थ रामचरितमानस और महाभारत, गीता और कृष्ण काव्य की रचना देवनागरी लिपी में ही हुई है। हिन्दी भाषा अपने आप में इस कारण भी अधिक बलवती है चूंकि यह जिस प्रकार उच्चारित की जाती है उसी प्रकार लिखी भी जाती है।

हमारे समस्त धार्मिक ग्रन्थों की रचना हिन्दी भाषा में ही हुई है। आज भारत को विश्व गुरु के स्थान पर हिन्दी ही की प्रमुख रूप से दावेदारी पेश करती है।

विश्व की कोई भाषा इतनी श्रेष्ठ और वैज्ञानिक नहीं है जितनी हिन्दी है। हमें इस भाषा में कार्य करने में गर्व महसूस करना चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा में बात करने में सहजता महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मोन्नति नहीं कर सकते। आज हम यह शपथ लें कि हिन्दी में बात करके, कार्य करके गौरवान्वित महसूस करेंगे।



अधिकारी हिन्दी में डिवटेशन
(Shorthand / Longhand में) दें
और हर वर्ष
रु. 5000/- पुरस्कार प्राप्त करें ।



मनीष 'तालिब'
पति श्रीमती शालिनी भार्गव कौशल
आयकर आयुक्त

सोचता हूँ

सोचता हूँ आज मैं जुनूँ से काम लूँ,
दिल की कुछ कहूँ कुछ उनसे पयाम लूँ

उकता गया हूँ अब तेरी राहगुजर से मैं,
दिल कह रहा है और किसी राह पे चलूँ

बागबान आजकल तवज्जो नहीं देता,
गुल सोचता है और किसी चमन में खिलूँ

सब पी पिला लिया बहुत जी जला लिया
अब सोचता हूँ दामन तौबा का थाम लूँ

साकी तेरे जलाल में कोई कमी न थी,
वाइज़ के मशवरे से कभी तो काम लूँ

तालिब वफ़ा का उम्र भर नुमाईदा रहा,
तमाम दर्द तो दे दिया और क्या इनाम दूँ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦



कविता – क्यों डरता है...?

सांवत राम मीना (सांवरा जी मांडया)
आशुलिपिक

कोने में बैठ कर क्यों रोता है,
यू चुप चुप सा क्यों रहता है।

आगे बढ़ने से क्यों डरता है,
सपनों को बुनने से क्यों डरता है।

तकदीर को क्यों रोता है,
मेहनत से क्यों डरता है।

झूठे लोगों से क्यों डरता है,
कुछ खोने के डर से क्यों बैठा है।

हाथ नहीं होते नसीब होते हैं उनके भी,
तू मूढ़ी में बंद लकीरों को लेकर रोता है।

भानू भी करता है नित नई शुरूआत,
सांज होने के भय से नहीं डरता है।

मुसीबतों को देख कर क्यों डरता है,
तू लड़ने से क्यों पीछे हटता है।

किसने तुमको रोका है,
तुम्ही ने तुम को रोका है।

भर साहस और दम, बढ़ा कदम,
अब इससे अच्छा कोई न मौका है।

** ** *





मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप



मोहम्मद अवेस अहमद
वरिष्ठ कर सहायक

आज के समय में स्मार्टफोन को लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और आप सब लोग भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे, क्यों नहीं? आज के युग में यह अनिवार्य भी है वरना समाज आपको पिछड़ा समझने लगता है। मोबाइल फोन हमारी कई जरूरतों को पूरा ही नहीं करता, बल्कि आसान भी बनाता है। फोन के जरिए आप कहीं भी किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर वह शख्स दुनिया में कहीं भी क्यों न हो? फोन में आप ढेर सारा डाटा अपने साथ लेकर चल सकते हैं। आज के व्यस्त दिनचर्या में मोबाइल फोन हमें अपने रिश्तेदारों और दूर बैठे दोस्तों से जोड़े रखता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना है, विज्ञान का चमत्कार है। एक दौर था जब कम्प्यूटर का हमारे कामों को आसान बनाने के लिए अविष्कार किया गया पर अब फोन में ऐसे फीचर हैं जो कम्प्यूटर का काम भी कर लेते हैं। इन्टरनेट के जरिए आप किसी भी चीज से जुड़ी जानकारी रख सकते हैं। इन्टरनेट की सुविधा से अब मोबाइल फोन में जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम रास्ता पता कर सकते हैं। कहीं किसी जगह भटकने पर मोबाइल हमें सही रास्ता भी दिखा देता है। अगर किसी के पास मोबाइल है तो समझो उसके पास सब कुछ है। चुटकियों में मोबाइल फोन आपके कई कामों को आसान बना देता है।

अगर आप किसी से मोबाइल फोन से होने वाले फायदों के बारे में पूछेंगे तो वह शायद ढेरों फायदे आपको गिना देगा, लेकिन इससे होने वाले नुकसान के बारे में शायद कुछ ही लोग बता पाएंगे। मोबाइल फोन आज हर वर्ग की जरूरत बन गया है, चाहे साइकिल चलाने वाला आम आदमी हो या फिर मंहगी कार चलाने वाला कोई बिजनेसमैन। मोबाइल फोन आज के जमाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी मोबाइल फोन बन गया है। हमें मोबाइल फोन से जहां ढेरों फायदे होते हैं वैसे ही कई नुकसान भी हैं। जैसे कि दवाईयों से मरीज की बीमारी जल्दी ठीक होती है और आराम भी मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ साइड इफेक्ट्स का खतरा भी बना रहता है। ठीक वैसे ही हमें मोबाइल फोन से भी खतरे की आशंका बनी रह सकती है। अगर मोबाइल फोन को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्मार्टफोन के रेडियेशन से सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और याददाश्त तक जाने का खतरा बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के जीवन में यह सबसे अधिक दुष्प्रभाव डालता है। आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल चला लेते हैं और दिन भर वीडियो गेम चलाते रहते हैं जिससे वे पढ़ाई एवं दूसरी चीजों में ध्यान नहीं लगा पाते। इन दिनों लगभग सभी विद्यार्थी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं। कई विद्यार्थियों का कहना है कि स्मार्टफोन के बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकते। उनका कहना है कि उनका दिमाग मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ही ठीक रहता है। इसे हम एक टाइप की मानसिकता वाली बीमारी भी कह सकते हैं।

एक दिन में हर व्यक्ति लगभग अपने फोन को लगभग सौ बार अनलॉक करता है और लगभग 24 घण्टे में 15 घण्टे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। आप कई बार न्यूज चैनलों में देखते होंगे कि लोग सेल्फी लेते हुए मारे गए इसलिए कि ज्यादातर लोग पापुलर सेल्फी लेने के चक्कर में ऊँची-ऊँची इमारतों से गिर जाते हैं और यह सब मोबाइल की वजह से होता है। फोन की लत आजकल के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रही है। वे दिन भर फेसबुक और चैटिंग में ही व्यस्त रहते हैं जो उनके अपने भविष्य के लिए सही नहीं है। मोबाइल फोन की वजह से अब लोग घर में भी एक दूसरे से मिलने पर भी फोन प्रयोग करने का चलन बढ़ चुका है। इन

सबके चलते अब फोन में ढेर सारे ऐप और फीचर आ गए हैं। वहीं हमारे इंटरनेट और कॉल का खर्च भी बढ़ गया है जो हमारे बजट पर अधिक भार डालता है।

निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं जहां मोबाइल फोन हमारी जरूरतों के लिए बना है। उसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे फायदे के लिए ही करना चाहिए ताकि मोबाइल फोन आप पर हावी न होकर आपके कामों को आसान बनाने में मददगार हो। बच्चों को भी मोबाइल फोन की गन्दी आदत से बचाए रखना चाहिए। उनके लिए मोबाइल चलाने का समय सीमित कर देना चाहिए।



‘ईमानदारी’



कमर आलम खान
कर सहायक

ईमानदारी एक शब्द नहीं पूरे जीवन का सार है।

हर कान्धा नहीं उठा पाता ये ऐसा भार है।

ईमानदारी एक नूर है जो हर किसी की पहुंच से दूर है।

ईमानदारी एक नशा है जिसका अलग ही मजा है।

जिसकी कोई दवा नहीं ईमानदारी वो बुखार है।

बिकने को तैयार नहीं, हां मरने को तैयार है।

ईमानदारी वो गहना है जो सब पे नहीं सजता।

ये वो राग है जो हर साज़ पे नहीं बजता।

ईमानदारी वो पानी है जिसे हर कोई नहीं पीता।

ईमानदारी वो दुनिया है जिसमें हर कोई नहीं जीता।

ईमानदारी वो महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पालता।

ये वो शोला है जो सबका खून नहीं उबालता।

ये वो राज़ है जो छुप नहीं सकता।

ये वो अंदाज है जो दब नहीं सकता।

ये वो अर्जी है जो टल नहीं सकती।

ये वो शर्त है जो बदल नहीं सकती।

ये वो कागज़ है जिसपे हर कलम नहीं चलती।

ये वो तलवार है जा किसी पे रहम नहीं करती।

ईमानदारी छोटी-छोटी कोशिशों का सिला है।

ये तो खजाना है जो सबके लिए खुला है।

ईमानदारी एक अद्भुत कला है।

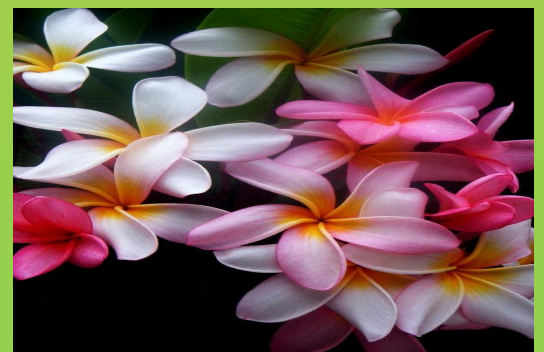
इसे सीखा जाए तो सबका भला है।

ईमानदारी तो खुदा की शायरी है।

इसे पढ़ना हम सब की जिम्मेदारी है।

वो जिसकी आंखों में ईमानदारी का खुमार है।

असल में बस वहीं जिंदा है वहीं बुखार है।





शंकर मीना,
आशुलिपिक

माँ का आंचल

याद आती है मां की साड़ी
साड़ी का वो पल्लू
पल्लू में बंधी वो छोटी गांठ
गांठ में बंधे, खनकते सपने सुनहरी खुशियां
कभी अठन्नी, कभी चवन्नी और कभी तो रुपया
गांठ कभी देती थी चूरन, कभी नान खटाई बिस्कुट
और कभी जल जीरा से गला तर करने की गुट गुट
मीठी गोली, हंसी ठिठोली चटकारे वाली वो चाट
याद आती है मां की साड़ी...साड़ी का पल्लू और पल्लू की छोटी गांठ



चिज्जी कोई जो दिल ललचाए
मां के पास हम दौड़े आए
लिपट के थोड़ा प्यार जताकर,
गांठ पर शातिर नजर गड़ाए
मां क्या कहती मां क्या सुनती
मांगे पैसे ज़िद करी तो झूठ मूठ वो देती डांट
याद आती है मां की साड़ी....

धीरे से एक नज़र बचाकर,
रूठी मां को ज़रा मनाकर,
मां तू तो बहुत है भोली
10 पैसे में ही तो आती है दो मीठी गोली
खुश होती तो हाथ गर्म, गुस्सा हो तो कान गर्म
हुई अगर जो आगबबूला गाल पे पड़ती एक चपाट
याद आती है मां की साड़ी...

कितनी खट्टी कितनी मीठी
बचपन की वो घड़ियां बीती
अब बटुए में हैं कुछ पैसे
मज़े नहीं अब पहले जैसे
आंचल की गांठ नहीं अब
पहले जैसे ठाठ नहीं अब

मां की साड़ी मां का आंचल
आसमान संग था वो बादल
कभी उलझता कभी सोचता
जाने क्या क्या उससे पोछता

गर्मी की वो छाव भली था
बारिश में छाता बन जाता
कपड़े में ममता सी दिखती
कभी ओढ़ता कभी बिछाता
अब साड़ी है ..और बस साड़ी है
नम आंखों से वही देखता
स्मृतियों के खुले कपाट

याद आती है मां की साड़ी.. साड़ी का पल्लू ...और पल्लू में छोटी गांठ।

** ** *



**भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
अधिसूचित कुल 22 प्रादेशिक भारतीय भाषाएँ**

असमिया

बंगला

उड़िया

मणिपुरी

उर्दू

मराठी

कन्नड़

मलयालम

कश्मीरी

संस्कृत

कोंकणी

सिंधी

गुजराती

हिंदी

तमिल

बोडो

तेलुगू

डोगरी

नेपाली

मैथिली

पंजाबी

संथली





‘कोरोना’



शंकर लाल मीना
कर सहायक

इन दिनों हर एक दिन
उम्मीद की एक किरन नजर आती है
जब पता चलता है
हमारी सांस
अपने सही रफ्तार में चल रही है
धमनियों में रक्त प्रवाह
अपने औसत वेग से चल रहा है
शरीर का ताप
बिल्कुल सामान्य है
गले में खराश का ना आना
और नाक का ना बहना
ये सब मन को निश्चित कर देता है

किसी भी भयावह स्थिति से लड़ने के लिए
लक्षण संक्रमण से आयेगा
अकेलापन खूब सतायेगा
बचना जरूरी है
अपनों के अपनेपन
को बनाये रखने के लिए
चंद दिनों की बात है
फिर तो सब सामान्य है ।

** ** *



-पुस्तक अध्ययन- प्रिंट एवं ई- पुस्तक मेरी नज़र से.....



श्रीमती गिरीजा वाणी
वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी

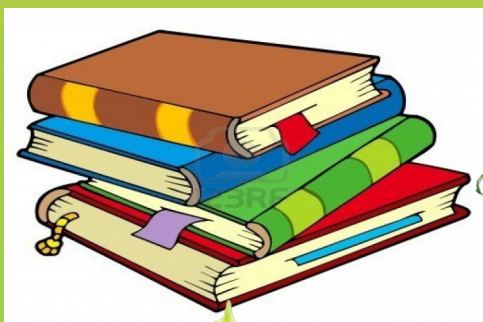
हर कोई पूछ सकता है कि पुस्तक ही क्यों पढ़ना है ? पुस्तक की क्या जरूरत है ? आज की तकनीकी दुनिया में पुस्तकों की जगह बहुत सी वस्तुएं आ गई हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, ई-पुस्तक आदि अपने स्थान लेने की कोशिश की हैं । सच पूछा जाए तो आज भी कहीं भी बैठकर पुस्तक पढ़ने से श्रेष्ठ कुछ और चीज नहीं है । वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति एवं बुद्धि के विकास में पुस्तकों का अध्ययन अवश्य है। कालाईल का कथन है कि -

“मानव जाति ने जो कुछ किया, सोचा या पाया है. वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है ।“

हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व अतुलनीय है, पुस्तकें ज्ञान का अक्षय भंडार हैं, किसी भी देश की अमर निधि हैं । पुस्तकें हमारी सच्ची हितैषी और हमारा सच्चा दोस्त हैं और अकेलेपन की साथी । आजकल संसार में पुस्तकें डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं । इस कार्य के लिए गूगल की सहायता से इंटरनेट द्वारा सभी पुस्तक पढ़ी जा सकती है लेकिन वास्तविक रूप से प्रिंट पुस्तकों के प्रति रुचि आज भी ज्यों का त्यों है।

मेरा मानना है कि अधिकांश पाठकों के स्मृतिपटल में अवश्य उनके बचपन की पतली-सी रंगबिरंगी वाली उनकी पहली किताब की छवि बसी होती है । उस पहली किताब का स्पर्श, उसका अनुभव, नन्हीं उँगलियों से कौतुहलवश उसके पन्नों को पलटाने का अथक प्रयास, पढ़ लेने की उत्सुकता हर पाठक की पहली याद होती है। जैस-जैसे समय बीतता रहा, प्रौद्योगिकी की दुनिया में हमने कदम रखा, नई तकनीकी का विकास होने लगा, तो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब व स्मार्ट फोन जैसे उपकरणों के स्क्रीन पर पढ़ने की आदत होने लगी। पर पहले जैसा वह अनुभव नहीं रहा ।

पुस्तक की प्रिंट प्रति का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि उससे अनगिनत यादें जुड़ी हुई होती है । पुस्तक नई या पुरानी जो भी हो, उसकी ख़ुशबू भी एक गहरी अनुभूति प्रदान कराती है । पुस्तक की प्रिंट प्रति के लिए किसी पुस्तक-दुकान, प्रदर्शनी एवं पुस्तकालय में जाना, खरीदकर या संग्रहकर संजोए रखना हर पाठक का सपना होता है।





कृष्ण कुमार मीना
आशुलिपिक

बेरोजगार युवा

हमने कई ऐसों कमरों की लागतें चुका दी
जिन पर
एक दिन हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे ।
हमने कितने ही कमरों में झाड़ू फेरी
कितनी ही रसोईयों को साफ किया ।
हमने उन्हीं कमरों में ली हजारों करवटें

उन्हीं कमरों में काट ली रातें
उन्हीं कमरों में जी लिया इश्क ।
अलजेब्रा से नहीं कर पाए मोहब्बत
सरल गणित पर लुटा दी जान ।
हमने फेसबुक से ज्यादा खोला व्यापम पोर्टल,
हम सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के रिलेशनशिप में रहें,
हमारी प्रेमिकाओं की तरह रही वेकेंसी
उन्हें आने में हमेशा हुई देर ।
हम घर कभी समय पर नहीं पहुंचे
लेकिन कमरे पर पहुंचे हमेशा

गेट लगने के दो मिनिट पहले ।
जरा की सी शरारतें
जरा सी खाई मालिकों की गालियां,
उनकी ऊंची दीवारों से हटाये मकड जाल
बिजलियों के मीटरों में रोज नापी खपत।
महीने की पहली तारीख से डरते रहे
हिचक के मांगा पिता से किराया
महीने के आखरी दिन काटे भिखारियों की तरह
कभी भरे पेट, कभी भूखे ।
मकां बदलते रहे इस उम्मीद में कि
किसी रोज मकाम तक पहुंच जाएंगे।
हमने बंद कमरों में जीवन काटा है
हमने ट्यूबलाइटों से धूप ली है
हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे ।

*** ** *





परोपकार का फल

श्री सदानन्द,
लिफ्ट चालक

एक बार एक गाँव में कुछ ग्रामीण मिलकर एक साँप को मार रहे थे, तभी उसी रस्ते से संत एकनाथ का निकलना हुआ। भीड़ को देख संत एकनाथ भी वहाँ आ पहुँचे, बोले - भाइयों इस प्राणी को क्यों मार रहे हो, कर्मवश साँप होने से क्या यह भी तो एक आत्मा है। तभी भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा - “आत्मा है तो फिर काटता क्यों है ?” व्यक्ति की बात सुनकर संत एकनाथ ने कहा - तुम लोग साँप को बेवजह मरोगे तो वह भी तुम्हें कटेगा ही, अगर तुम साँप को नहीं मरोगे तो वह भी तुम्हें क्यों काटेगा। ग्रामीण संत एकनाथ का काफी आदर सम्मान करते थे इसलिए संत की बात सुनकर लोगों ने साँप को छोड़ दिया।

कुछ दिनों बाद एकनाथ शाम के वक़्त घाट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में सामने फेन फैलाए एक साँप दिखाई दिया। संत एकनाथ ने साँप को रास्ते से हटाने की काफी कोशिश की लेकिन वह टस से मस न हुआ। आखिर में एकनाथ मुड़कर दुसरे घाट पर स्नान करने चले गए। उजाला होने पर लौटे तो देखा, बरसात के कारण वहाँ एक गड्ढा हो गया था, अगर साँप ने ना बचाया होता तो संत एकनाथ उस गड्ढे में कबके समा चुके होते।

इसीलिए कहा गया है, दया और परोपकार हमेशा अच्छा फल लेकर आते हैं।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

आइये इसमें भाग लें

अपने कार्यालयीन कामकाज (Nothing & Drafting) में पूरे वर्ष में 10,000
या उससे अधिक हिन्दी शब्द लिखें और यह पुरस्कार प्राप्त करें -

प्रथम पुरस्कार	(2 पुरस्कार)	रु. 5000/-
द्वितीय पुरस्कार	(3 पुरस्कार)	रु. 3000/-
तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार)	रु. 2000/-



- आयकर विभाग, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना के सराहनीय कदम -

कोविड महामारी की विषम परिस्थिति के दौरान समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयकर विभाग, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना द्वारा कई उपाय किए गए हैं। कोविड वायरस से प्रभावित अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल विभाग की ओर से सहायता प्रदान के उद्देश्य से कोविड रिस्पांस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। समिति के सदस्यों द्वारा एक काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कोविड रिस्पांस कंट्रोल रूम के अतिरिक्त कोविड काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप और मेडिकल सुविधा एवं अस्पताल में भर्ती कराने संबंधी ग्रुप जैसे और दो सहायता ग्रुप की स्थापना की गई है, जिनका मुख्य कर्तव्य है स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के साथ समन्वय बनाए रखना। इस समिति का मुख्य कार्य है घबराहट की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सामान्य बनाए रखना और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनकी सहायता करना। महामारी के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को यह समूह चौबीसों घंटे अपनी निःस्वार्थ सेवा उपलब्ध कराते रहे हैं।

आंशिक लॉकडाउन के दौरान दोबारा कार्यालय खोले जाने पर सभी कर्मियों को मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयों में उपस्थित होने की आवश्यकता थी उनके लिए राज्य सरकार से यथोचित अनुमति मांगी गई। कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य था उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान करवाया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाये रखने, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करने जैसी घोषणाएँ विभाग के ऑडियो सिस्टम में की जाती रही हैं और साथ में डिसप्ले बोर्ड में भी दर्शाया जाता रहा है। आयकर कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पूरे कार्यालय परिसरों को सैनेटाइज़ करवाया जाता है।

तेजी से फैल रही कोविड महामारी की हालात को देखते हुए प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना की अनुमति से विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वैच्छिक ग्रुप चिकित्सा बीमा (Voluntary Group Health Insurance) योजना लागू की गई ताकि उन्हें भारी चिकित्सा खर्च वहन करने और आर्थिक राहत प्रदान करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत अब तक कुल 555 आयकर परिवार और उन परिवार के 2100 सदस्यों की बीमा करवाई गई। वर्तमान में कई परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। यह बीमा कोविड के साथ-साथ सभी प्रकार की बीमारी की चिकित्सा के लिए उपलब्ध है। प्रशासन की ओर से कोविड मरीजों की बीमा के साथ-साथ उन्हें आवश्यक वस्तुओं तथा अस्पतालों में इलाज़ के दौरान उनकी देखभाल करने और उनके मनोबल बढ़ाने इत्यादि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

इस पुनीत कार्य में प्रशासन की ओर से उठाए गए सराहनीय कदम के साथ-साथ विभाग के IRS, ITGOA, ITEF यूनियन के सदस्यों के सक्रिय सहभागिता और सघन प्रयास सराहनीय रहा।



राजभाषा नियम, 1976

के अनुपालन के लिए देश के राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को
तीन क्षेत्रों, यथा - 'क', 'ख' और 'ग'
में बाँटा गया है

